न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारीः– रजत आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्याः– 10/2025

प्रार्थीः–

1. छोटी कंवर पत्नि गोपाल सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी छाजोली तहसील जायल जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीः–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थितः–

1. अभिभाषक श्री हरि सिंह मांगलिया एवं लक्ष्मीनारायण शर्मा प्रार्थी की और से
2. राजपैरोकार(तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णयः– दिनांक 13/9/2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत मौजा छाजोली के खाता संख्या 101 के खसरा संख्या 328 रकबा 2.0396 हैक्टयर जिसमे प्रार्थी का नाम छोटू कंवर पत्नि गोपालसिंह जाति दरोगा निवासी छाजोली दर्ज हो गया है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड संख्या 8642 0382 8460, परिवार राशन कार्ड नम्बर 200005466359 तथा जन आधार कार्ड संख्या 5088503457, पेन कार्ड संख्या MMCPK186911 ,दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के बचत खाता संख्या 28008105740034410 में प्रार्थी का नाम

निवासी छाजोली दर्ज है को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा छाजोली के वर्तमान(2073--2076) खाता संख्या 101 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम छोटी कंवर पत्नि गोपाल सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी छाजोली तहसील जायल के स्थान पर छोटू कंवर पत्नि गोपालसिंह जाति दरोगा निवासी छाजोली भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नही होता है,परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान(Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुंसगत धाराओं तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नही है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नही होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नही होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नही मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज नाम से समानता नही रखता हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88,136 का मानते हुए प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा छाजोली के खाता संख्या 101 के खसरा संख्या 328 रकबा 2.0396 हैक्टयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

--: आदेश :--

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा छाजोली के खाता संख्या 101 के खसरा संख्या 328 रकबा 2.0396 हैक्टयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम छोटू कंवर पत्नि गोपालसिंह जाति दरोगा निवासी छाजोली सा. देह खातेदार के स्थान पर छोटी कंवर पत्नि गोपाल सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी छाजोली सा. देह खातेदार दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

यह आदेश आज दिनांक 13/09/2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

13/09/2025
सहायक कलेक्टर
(प्र. अ.) जायल (नागौर)